रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003--05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31—फरवरी 6, 2004 (माघ 11, 1925)

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31—FEBRUARY 6, 2004 (MAGHA 11, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

सहयोगी एवं अनुषंगी समूह

मुंबई, दिनांक 10 जनवरी 2004

एसबीडीक. 17/2003-04--भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के खंड (ग) के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने अधिसूचना क्र. एसबीडी/13/2003 दिनांक 8.10 2003 के द्वारा श्री सी. भट्टाचार्य, उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी), भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई को दिनांक 8.10.2003 से निम्नलिखित सहयोगी बैंकों के निदेशक के रूप में नामित किया था :

(1) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर

(2) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

(3) स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर

(4) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर

(5) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

(6) स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र

(7) स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर

यद्यपि श्री सी. भट्टाचार्य दिनांक [illegible].2003 से प्रबन्ध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक के पद पर नियुक्त किए गए हैं तथापि वे आगामी सूचना तक उपर्युक्त बैंकों के बोर्ड पर निदेशक बने रहेंगे।

ए. के. पुरवार
अध्यक्ष

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली

डिग्रियों का विनिर्देशन

क्रमांक एफ.1–52/97(सीपीपी–11)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 के 3) की धारा 22 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत व दिसंबर, 1985 तक संशोधित और गजट अधिसूचनाओं क्रमांक एफ.87–9/58 (सीयूपी) दिनांक 1–12–1958, एफ.33–72/59(सीयूपी) दिनांक 17–11–1960, एफ.33–87/63(सीयूपी) दिनांक 6–6–1964, एफ.33–87/63(सीयूपी) दिनांक 27–4–1966, और एफ.1–59/66 (सीडीएन) दिनांक 18–6–1968, एफ. 1–59/66(सीडीएन) दिनांक 17–2–1969, एफ.1–59/66(सीडीएन) दिनांक 22–12–1969, एफ.1–59/66(सीडीएन) दिनांक 26–2–1971, एफ.1–59/66(सीडीएन) दिनांक 15–11–1973, एफ.1–59/66(सीडीएन/सीपी) दिनांक 18–7–1975 और एफ. 1–52/97(सीपीपी–11) दिनांक 24–6–1999, एफ.1–52/2000(सीपीपी–11) दिनांक 21–11–2001 और एफ.1–52/97(सीपीपी–11) दिनांक 3–10–2002 का अधिक्रमण करते हुए केंद्र सरकार की अनुमति से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एतद् द्वारा इस धारा के तहत डिग्रियों के लिए नामपद्धति विनिर्दिष्ट करती है। साथ ही साथ इन डिग्रियों को देने के लिए न्यूनतम आवश्यक अकादमिक मानदण्ड भी तय करती है।

डिग्रियों का विनिर्देशन

1. कोई विश्वविद्यालय इस अधिसूचना की शर्तों का उल्लंघन करके डिग्री प्रदान नहीं कर सकेगा। विश्वविद्यालयों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे डिग्रियों की अनुमोदित नामपद्धति का अनुपालन करें तथा डिग्री देने से पहले निर्धारित न्यूनतम शिक्षण मानकों का पालन सुनिश्चित करें, जैसा कि इसके आगे निर्धारित किया गया है। किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के संबंध में किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय से अकादमिक सहयोग या सहभागिता करने के लिए आयोग से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा, जैसा कि इसके आगे निर्धारित किया गया है।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22(3) के तहत डिग्रियों के लिए अनुमोदित नामपद्धति की समेकित सूची अलग से संलग्न है। विषय विशेष की दक्षता को अनुमोदित नामपद्धति के साथ कोष्ठक में दर्शाया जा सकता है।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय–समय पर इस सूची की समीक्षा करेगा, उसका अद्यतन करेगा तथा उसकी सूचना सभी विश्वविद्यालयों को देता रहेगा। अगर कोई विश्वविद्यालय नया डिग्री पाठ्यक्रम लागू करना चाहता है, तो उसे ऐसा पाठ्यक्रम शुरू करने से कम से कम छह महीने पहले यूजीसी से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा।

4. डिग्री के निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय या संस्थान की संबंधित अकादमिक समितियों जैसे – अध्ययन बोर्ड, अकादमिक परिषद व शासी परिषद – द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित कराना आवश्यक है।

5. सभी विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध कॉलेज पढ़ाई के न्यूनतम स्तर और डिग्री प्रदान करने के लिए निर्धारित मानकों का पालन करेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहां संबंधित सांविधिक या नियामक निकायों तथा यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद, स्थापत्यकला परिषद, भारतीय बार काउंसिल, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद और भारतीय नर्सिंग परिषद आदि द्वारा अधिसूचनाओं या नियमों के तहत निर्धारित योग्यता प्राप्त अध्यापक व आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था है।

6. यूजीसी से मान्यताप्राप्त जिन डिग्रियों को विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध कॉलेज प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए संबंधित वैधानिक या नियामक समितियों द्वारा निर्धारित अध्ययन के न्यूनतम मानदंडों और नियमों का उल्लेख प्रवेश विवरणिका में प्रमुख रूप से होना चाहिए।

7. प्रत्येक विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों को समय–समय पर पढ़ाई के न्यूनतम स्तर का पालन करने की सूचना यूजीसी द्वारा निर्धारित फॉर्म में भरकर यूजीसी को भेजनी होगी।

8. यूजीसी समय–समय पर डिग्री देनेवाले विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों, विस्तार/क्षेत्रीय/अध्ययन केंद्रों का निरीक्षण करा सकती है।

9. अगर निरीक्षण के दौरान वहां कोई कमी पायी जाती है, तो यूजीसी संबंधित विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध कॉलेज को उसे सुधारने व अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अवसर दे सकती है।

10. छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों के लिए यह जरूरी है कि वे किसी विदेशी विश्वविद्यालय से कोई भी अकादमिक सहयोग या सहभागिता के लिए यूजीसी से अनुमति लें। चाहे वह सहयोग डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के लिए किसी फ्रैंचाइजी या अध्ययन केंद्र या आदान–प्रदान का हो। विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कार्यक्रम में छात्रों

को प्रवेश देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह डिग्री/डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट यूजीसी द्वारा विधिवत रूप से विनिर्दिष्ट व अधिसूचित किया गया है।

विश्वविद्यालय और उससे संबंद्ध कॉलेजों का यदि कोई सहयोग या सहभागिता पहले से ही है तो उसकी सूचना भी इस अधिसूचना के जारी होने के बाद छह महीनों के भीतर निर्धारित फॉर्म के द्वारा यूजीसी को दी जानी चाहिए।

11. विनिर्देशों का पालन न करने पर विश्वविद्यालयों के लिए परिणाम:

11.1 नियमों की अवहेलना करने वाले विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों को अनिर्दिष्ट डिग्री प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम को आगे जारी रखने से रोक दिया जाएगा।

11.2 अगर उसके बावजूद भी डिग्री दी जाती है, तो उसे यूजीसी पूरी जांच–पड़ताल के बाद अवैध करार दे सकती है। उसके बाद यूजीसी चूक करने वाले विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों और उनके द्वारा दी जा रही अनिर्दिष्ट डिग्री संबंधित सूचना को जनसाधारण के लिए प्रकाशित करेगी।

11.3 संबंधित विश्वविद्यालयों का यह दायित्व होगा कि वे स्वयं और संबद्ध कॉलेजों में निर्धारित नियमों, मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करें और चूक करने वाले कॉलिजों के उल्लंघन की सीमा को ध्यान में रखकर उनकी संबद्धता रद्द करें।

11.4 यूजीसी, उपधारा 11.2 के तहत जारी किये गये आदेश की प्रतिलिपि संबंधित विश्वविद्यालय को भेजेगी। आदेश की प्राप्ति के दिन से संबंधित पाठ्यक्रम को ले कर उस कॉलेज या संस्था की संबद्धता समाप्त कर दी जायेगी। ऐसी संबद्धता समाप्त होने की तिथि के बाद से उस संस्था को अगले तीन साल तक के लिए उस या उस तरह के डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11.5 डिग्री के लिए विनिर्देशों संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर चूक करने वाले विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध कॉलेजों के खिलाफ यूजीसी अधिनियम की धारा 24 के तहत कार्रवाई भी की जायेगी।

(प्रो. वेद प्रकाश)
सचिव

39GI/05

4

यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 22 के तहत विनिर्देशित डिग्रियां

क्रम	डिग्री का संक्षेप नाम	डिग्री का विस्तार
1.	आचार्य	आचार्य
2.	अलंकार	अलंकार
3.	एंएमबीएस	आयुर्वेदिक औषधि और शल्य मे स्नातक
4.	अणु पारंगत	एम.फिल
5.	आयुर्वेद वाचस्पति	आयुर्वेद में पीएच.डी.
6.	आयुर्वेदाचार्य	आयुर्वेदाचार्य
7.	बी. आर्क	वास्तुकला में स्नातक
8.	बी.ए., बी.एड	कला स्नातक, शिक्षा स्नातक
9.	बी.एग्री.	कृषि स्नातक
10.	बी.के.ई.	रसायन इंजीनियरिंग में स्नातक
11.	बी.केम.टेक	रसायन तकनीकी में स्नातक
13.	बी.कॉम	वाणिज्य स्नातक
14.	बी.डांस	नृत्य स्नातक
15.	बी.एड.	शिक्षा स्नातक
16.	बी.फार्मा:आयु:	फार्मेसी में आयुर्वेद स्नातक
17.	बी.फार्मा	फार्मेसी में स्नातक
18.	बी.एस.एस.सी	सेनेटरी विज्ञान में स्नातक
19.	बी.एस.सी.	विज्ञान स्नातक
20.	बी.एस.सी. बी.एड.	विज्ञान स्नातक और शिक्षा स्नातक
21.	बी.एस.सी:नर्सिंग	नर्सिंग में विज्ञान स्नातक
22.	बी.एस.सी. :सेरिकल्चर:	सेरिकल्चर में स्नातक
23.	बी.स्टैट	सांख्यिकी में स्नातक
24.	बी. टेक	तकनीकी में स्नातक
25.	बी.टेल.ई.	दूरसंचार इंजीनियरिंग में स्नातक
26.	बी. टेक्स	टेक्सटाइल में स्नातक
27.	बी.वी.एससी.	पशु विज्ञान में स्नातक
28.	बी.वी.एस.सी. ऐंड ए.एच.	पशु विज्ञान और पालन में स्नातक
29.	बी.ए.	कला स्नातक
30.	बी.लिब. एससी.	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक
31.	बी.ए.एम.	आयुर्वेदिक औषधि में स्नातक
32.	बी.ए.एम.एस.	आयुर्वेदिक औषधि और शल्य में स्नातक
33.	बी.बी.ए.	व्यापार प्रशासन में स्नातक
34.	बी.बी.एम.	व्यापार प्रबंधन में स्नातक
35.	बी.सी.ए.	कंप्यूटर प्रयोग में स्नातक
36.	बी.सी.ई.	सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक
37.	बी.सी.एल.	नागरिक विधि में स्नातक
38.	बी.डी.एस.	दंत चिकित्सा में स्नातक
39.	बी.ई.	इंजीनियरिंग में स्नातक

40.	बी.ई.ई.	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक
41.	बी.एफ.ए.	ललित कला में स्नातक
42.	बी.एफ.एससी.	मत्स्य पालन में स्नातक
43.	बी.जी.एल.	सामान्य विधि में स्नातक
44.	भाषा प्रवीण	भाषा प्रवीण
45.	बी.एच.एम.एस.	होम्योपैथिक औषधि और शल्य में स्नातक
46.	बी.आई.एम.	भारतीय औषधि में स्नातक
47.	बी.जे.	पत्राकारिता स्नातक
48.	बी.एल.	विधि स्नातक
49.	बी.लिब.आई.एससी.	पुस्तकालय व सूचना विज्ञान में स्नातक
50.	बी.लिट.	साहित्य स्नातक
51.	बी.एम.बी.एस.	औषधि और शल्य में स्नातक
52.	बी.एम.ई.	मेकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक
53.	बी.म्यूज.	संगीत स्नातक
54.	बी.नैच :आयु.:	आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा स्नातक
55.	बी.नर्स.	नर्सिंग में स्नातक
56.	बी.ओएल.	प्राच्य अध्ययन में स्नातक
57.	बी.ओटी.	ऑक्युपेशनल थिरेपी में स्नातक
58.	बीपीए	प्रदर्शनीय कलाओं में स्नातक
59.	बीपीएड.	शारीरिक शिक्षा में स्नातक
60.	बी.पी.ई.	शारीरिक शिक्षा में स्नातक
61.	बीपीपी	शारीरिक योजना में स्नातक
62.	बीपीएस	व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक
63.	बीपीटी	फिजियोथिरेपी में स्नातक
64.	बी.एसएमएस	श्रीचर औषधि और शल्य में स्नातक
65.	बी.एसडब्ल्यू	समाज कार्य में स्नातक
66.	बीटी	प्रशिक्षण में स्नातक
67.	डी.आय.एम.	आयुर्वेदिक औषधि में आचार्य
68.	डी.एड.	शिक्षा में आचार्य
69.	ड़ी.इंज.	इंजीनियरिंग में आचार्य
70.	डी.एचवी.	आरोग्य विज्ञान में आचार्य
71.	डी.लिट.	साहित्य में आचार्य
72.	डी. म्यूज.	संगीत में आचार्य
73.	पीएच.डी.	दर्शनाचार्य?
74.	डी.एससी.	विज्ञान में आचार्य
75.	डी.एल.	विधि में आचार्य
76.	डीओएल	प्राच्य अध्ययन में आचार्य
77.	डी.एम.	औषधि में आचार्य :हृदय रोग:
78.	ग्रंथालय	ग्रंथालय
79.	हिंदी शिक्षा विशारद	हिंदी शिक्षा विशारद
80.	एलएलबी	विधि स्नातक

81.	एलएलडी	विधि में आचार्य
82.	एलएलएम	विधि में स्नातकोत्तर
83.	एम.आर्क	वास्तुकला में स्नातकोत्तर
84.	एम.च.	चिरुरजी में स्नातकोत्तर?
85.	एम.के.ई.	रासायनिक इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर
86.	एम.कॉम.	वाणिज्य में स्नातकोत्तर
87.	एम.डांस	नृत्य में स्नातकोत्तर
88	एम.एड.	शिक्षा में स्नातकोत्तर
89.	एम.इंड.	भारत विद्या में स्नातकोत्तर
90.	एम.लिब.एससी.	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर
91.	एम.लिट.	साहित्य में स्नातकोत्तर
92.	एम.म्यूज.	संगीत में स्नातकोत्तर
93.	एम. फार्मा	फार्मेसी में स्नातकोत्तर
94.	एम.फिल.	दर्शन–निष्णात
95.	एम.प्लान	योजना में स्नातकोत्तर
96.	एमपीई	शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर
97.	एम.एससी.	विज्ञान में स्नातकोत्तर
98.	एम.स्टैट	सांख्यिकी में स्नातकोत्तर
99.	एम. टेक	तकनीकी में स्नातकोत्तर
100.	एम.टेक्स्ट	टेक्सटाइल में स्नातकोत्तर
101.	एम.वी.एससी.	पशु विज्ञान में स्नातकोत्तर
102.	एम.ए.	कला में स्नातकोत्तर
103.	एमबीए	व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर
104.	एम.बी.बी.एस.	औषधि और शल्य में स्नातकोत्तर
105.	एमसीए	कंप्यूटर प्रयोग में स्नातकोत्तर
106.	एम.डी.	औषधि में आचार्य
107.	एमडीएस	दंत शल्य में स्नातकोत्तर
108.	एम.ई.	इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर
109.	एमईई	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर
110.	एमएफ.एससी.	मत्स्यपालन विज्ञान में स्नातकोत्तर
111.	एमएफए	ललित कला में स्नातकोत्तर
112.	एमजे	पत्राकारिता में स्नातकोत्तर
113.	एमएल	विधि में स्नातकोत्तर
114.	एमएलआईएससी.	पुस्तकालय व सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर
115.	एमएमई	मेकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर
116.	एमओ	प्रसूति मामलों में स्नातकोत्तर
117.	एमओएल	प्राच्य अध्ययन में स्नातकोत्तर
118.	एमपीएएड.	शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर
119.	एमपीए	प्रदर्शनीय कलाओं में स्नातकोत्तर
120.	एमपीएस	जनसंख्या अध्ययन में स्नातकोत्तर
121.	एमपीटी	फिजियोथिरेपी में स्नातकोत्तर

7

122.	एमएस	शल्यक्रिया में स्नातकोत्तर
123.	एमएएमएस	औषधि और शल्य में स्नातकोत्तर
124.	एमएसडब्ल्यू	समाज कार्य में स्नातकोत्तर
125.	एमयूएमएस	यूनानी औषधि व शल्य में स्नातकोत्तर
126.	पारंगत	पारंगत
127.	डी.फिल.	दर्शनाचार्य
128.	समाज कार्य पारंगत	समाज कार्य पारंगत
129.	समाज विद्या पारंगत	समाज विद्या पारंगत
130.	समाज विद्या विशारद	समाज विद्या विशारद
131.	शास्त्री	शास्त्री
132.	शिक्षा आचार्य	शिक्षा आचार्य
133.	शिक्षा पारंगत	शिक्षा पारंगत
134.	शिक्षा शास्त्री	शिक्षा शास्त्री
135.	शिक्षा विशारद	शिक्षा विशारद
136.	वाचस्पति	वाचस्पति
137.	विद्या निष्णात	विद्या निष्णात
138.	विद्या प्रवीण	विद्या प्रवीण
139.	विद्या वाचस्पति	विद्या वाचस्पति
140.	विद्या वारिधि	विद्या वारिधि
141.	विद्यालंकार	विद्यालंकार
142.	विशारद	विषारद

(प्रो. वेद प्रकाश)
सचिव

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NEW DELHI

SPECIFICATION OF DEGREES

No.F.1-52/97 (CPP-II)

In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 22 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) as modified upto December, 1985 and in supersession of Gazette Notification No.F.87-9/58 (CUP) dated 1.12.58, F.33-72/59 (CUP) dated 17.11.1960, F.33-87/63 (CUP) dated 6.6.1964, F.33-87/63 (CUP) dated 27.4.1966 and F.1-59/66 (CDN) dated 18.6.1968, F.1-59/66 (CDN) dated 17.2.1969, F.1-59/66 (CDN) dated 22.12.1969, F.1-59/66 (CDN) dated 26.2.1971, F.1-59/66 (CDN) dated 15.11.1973, 1-59/66 (CDN/CP) dated 18.07.1975 and F.1-52/97 (CPP-II) dated 24.06.1999, F.1-52/2000 (CPP-II) dated 21.11.2001 and F.1-52/97 (CPP-II) dated 03.10.2002, the University Grants Commission (UGC) with the approval of the Central Government hereby specifies the nomenclature of degrees for the purposes of the said section as also the mandatory requirements viz. minimum essential academic inputs required for awarding such degrees.

Specification of Degree:

1. No University shall confer a degree in violation to the provisions of this notification. It shall be mandatory for the Universities to adhere to the approved nomenclature of the degree(s) and ensure the observance of the minimum standards of instruction before award of a degree as hereinafter prescribed. Academic collaborations with the foreign Universities for the grant of any degree/ diploma/ certificate shall also require prior approval of the commission as hereinafter prescribed.

2. The consolidated list of UGC approved nomenclature of degree(s) for the purpose of Section 22 (3) of the University Grants Commission Act, 1956 is enclosed as Annexure. The approved nomenclature may be followed by the specific area of specialization to be reflected in the parentheses.

3. This list shall be reviewed and updated by the UGC from time to time under intimation to all the universities. If a university wishes to start a new course it shall approach the UGC for its approval six months prior to starting the degree programme.

4. The courses of study prescribed for the degree should have been formally approved by the respective academic bodies of the university / institution, such as – Board of Studies, Academic Council and Governing Council

5. All the universities (including affiliated colleges thereto) shall observe the minimum standards of instruction and prescribed norms for the grant of a degree which shall be imparted by the duly qualified teaching staff and appropriate academic physical infrastructure facilities as prescribed by the concerned statutory / regulating bodies, such as University Grants Commission (UGC), All India Council for Technical Education (AICTE), Medical Council of India (MCI), Pharmacy Council of India (PCI), Council for Architecture (CoA), Bar Council of India (BCI), National Council for Teachers Education (NCTE), Dental Council of India (DCI), Indian Nursing Council (INC) etc. in their respective notifications/ regulations.

6. The list of UGC approved degrees offered by a University and the minimum standards of instruction and norms prescribed as laid down by the concerned statutory / regulatory bodies shall be prominently published in the admission brochure of concerned University / affiliated College.

7. Each University shall furnish information relating to the conformity to the above standards of instructions (including its affiliated colleges) to the UGC in the form prescribed from time to time for this purpose

8. The UGC may cause periodic inspection of the University and its affiliated colleges including extension/ regional/ study centers and such other facilities offering the courses leading to a degree.

9. After such inspection, the UGC may give reasonable opportunity to the defaulting University / affiliated colleges to rectify the identified deficiency/ non-conformity.

10. To safeguard the interest of the students, it would be mandatory for a University or any college affiliated to it to seek prior approval of the University Grants Commission before entering into any academic collaboration such as franchise, study centre tie-up or the twinning arrangement etc. with any foreign university leading to award of any degree / diploma / certificate. It would be the responsibility of the concerned University / affiliated College to ensure that such a degree/ diploma / certificate has been duly specified and notified by the commission before admitting the students to programs leading to such degree / diploma / certificate.

Existing Academic collaborations, if any, shall be reported by the respective University (inclusive of affiliated colleges) to the commission in the **form prescribed** for this purpose within six months of the issue of this notification .

11. **Consequences of failure of Universities to comply with these specifications:**

11.1. The defaulting University / Affiliated College shall be prohibited from offering any course for the award of unspecified degree.

11.2. Any degree awarded in contravention to this notification shall be deemed to be an unspecified degree and shall be declared as such by the UGC after duly satisfying itself as to the violation of this notification. The UGC shall give due publicity regarding the defaulting Universities/ colleges and unspecified degrees offered by them for the information of the general public.

11.3. It shall be the responsibility of the respective University to keep a watch over the observance of prescribed norms by itself and by the affiliated colleges and disaffiliate the defaulting colleges to the extent of violations.

11.4. The UGC shall forward a copy of the order made under the sub-section 11.2 to the university concerned, and on and from the date of receipt of a copy of such order by the university, the affiliation of such an institution, so far as it relates to the course of study specified in such order, shall stand terminated. On and from the date of termination of such affiliation, and for the period of three years thereafter, approval shall not be granted to that institution to start such or similar degree or post-graduate degree programme.

11.5. Contravention of the provisions relating to the specification of degrees as above shall also render the defaulting university and affiliated colleges liable for action as prescribed under Section 24 of the UGC Act.

(Prof. Ved Prakash)
Secretary

11

(12)

THE DEGREES SPECIFIED BY THE UGC UNDER SECTION 22 OF THE UGC ACT TILL 21ST AUGUST, 2003

S. No.	Abbreviation of Degree	Expansion of Degree
1.	Acharya	Acharya
2.	Alankar	Alankar
3.	AMBS	Ayurvedacharya Bachelor of Medicine & Surgery
4.	Anu Parangat	M.Phil
5.	Ayurveda Vachaspati	Ph.D. In Ayurveda
6.	Ayurvedacharya	Ayurvedacharya
7.	B. Arch.	Bachelor of Architecture
8.	B.A. B.Ed.	Bachelor of Arts and Bachelor of Education
9.	B.Agri.	Bachelor of Agriculture
10.	B.Ch.E.	Bachelor of Chemical Engg.
11.	B.Chem. Tech	Bachelor of Chemical Technology
12.	B.com	Bachelor of Commerce
13.	B.Com. B.Ed	Bachelor of Commerce and Bachelor of Education
14.	B.Dance	Bachelor of Dance
15.	B.Ed	Bachelor of Education
16.	B.Pharm (Ayu.)	Bachelor of Ayurved in Pharmacy
17.	B.Pharm.	Bachelor of Pharmacy
18.	B.S.Sc.	Bachelor of Sanitary Science
19.	B.Sc.	Bachelor of Science
20.	B.Sc. B.Ed.	Bachelor of Science and Bachelor of Education
21.	B.Sc.(Nursing)	Bachelor of Science in Nursing
22.	B.Sc.(Sericulture)	Bachelor of Science in Sericulture
23.	B.Stat.	Bachelor of Statistics
24.	B.Tech.	Bachelor of Technology
25.	B.Tel.E.	Bachelor of Telecommunication Engg.
26.	B.Text	Bachelor of Textiles
27.	B.V.Sc.	Bachelor of Veterinary Science

28.	B.V.Sc. & A.H	Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry
29.	BA	Bachelor of Arts
30.	B. Lib. Sc.	Bachelor of Library Science
31.	BAM	Bachelor of Ayurvedic Medicine
32.	BAMS	Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery
33.	BBA	Bachelor of Business Administration
34.	BBM	Bachelor of Business Management
35.	BCA	Bachelor of Computer Applications
36.	BCE	Bachelor of Civil Engineering
37.	BCL	Bachelor of Civil Law
38.	BDS	Bachelor of Dental Surgery
39.	BE	Bachelor of Engineering
40.	BEE	Bachelor of Electrical Engg.
41.	BFA	Bachelor of Fine Arts
42.	BFSc.	Bachelor of Fisheries Science
43.	BGL	Bachelor of General Law
44.	Bhasha Parveena	Bhasha Parveena
45.	BHMS	Bachelor of Homeopathic Medicine & Surgery
46.	BIM	Bachelor of Indian Medicine
47.	BJ	Bachelor of Journalism
48.	BL	Bachelor of Law or Laws
49.	B.Lib.I.Sc.	Bachelor of Library and information Science
50.	B.Litt.	Bachelor of Literature
51.	BMBS	Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
52.	BME	Bachelor of Mechanical Engineering
53.	B.Mus	Bachelor of Music
54.	B.Nat (Ayu)	Bachelor of Ayurved in Naturopathy
55.	B.Nurs.	Bachelor of Nursing
56.	BOL	Bachelor of Oriental Learning
57.	BOT	Bachelor of Occupational Therapy
58.	BPA	Bachelor of Performing Arts
59.	BPED	Bachelor of Physical Education

13

60.	B.P.E.	Bachelor of Physical Education
61.	BPP	Bachelor of Physical Planning
62.	BPS	Bachelor of Professional Studies
63.	BPT	Bachelor of Physiotherapy
64.	BSMS	Bachelor of Sridhar Medicine & Surgery
65.	BSW	Bachelor of Social Work
66.	BT	Bachelor of Training
67.	D.Ay. M.	Doctor of Ayurvedic Medicine
68.	D.Ed.	Doctor of Education
69.	D.Eng.	Doctor of Engineering
70.	D.HV.	Doctor of Hygiene
71.	D.Litt.	Doctor of Literature
72.	D.Mus.	Doctor of Music
73.	Ph.D.	Doctor of Philosophy
74.	D.Sc.	Doctor of Science
75.	DL	Doctor of Law
76.	D.M.	Doctor of Medicine (in Cardiology)
77.	DOL	Doctor of Oriental Learning
78.	Granthalaya	Granthalaya
79.	Hindi Shiksha Visharad	Hindi Shiksha Visharad
80.	LLB	Bachelor of Law or Laws
81.	LLD	Doctor of Laws
82.	LLM	Master of Law or Laws
83.	M.Arch.	Master of Architecture
84.	M.Ch.	Master of Chirurgiae
85.	M.Ch.E.	Master of Chemical Engg.
86.	M.Com	Master of Commerce
87.	M.Dance	Master of Dance
88.	M.Ed.	Master of Education
89.	M.Ind.	Master of Indology
90.	M.Lib.Sc.	Master of Library Science
91.	M.Litt	Master of Literature or Master of Letters

92.	M.Mus	Master of Music
93.	M.Pharm.	Master of Pharmacy
94.	M.Phil	Master of Philosophy
95.	M.Plan	Master of Planning
96.	MPE	Master of Physical Education
97.	M.Sc.	Master of Science
98.	M.Stat.	Master of Statistics
99.	M.Tech.	Master of Technology
100.	M.Text	Master of Textiles
101.	M.V.Sc.	Master of Veterinary Sciences
102.	MA	Master of Arts
103.	MBA	Master of Business Administration
104.	MBBS	Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
105.	MCA	Master of Computer Applications
106.	M.D.	Doctor of Medicine
107.	MDS	Master of Dental Surgery
108.	ME	Master of Engineering
109.	MEE	Master of Electrical Engineering
110.	MF.Sc.	Master of Fishery Science
111.	MFA	Master of Fine Arts
112.	MJ	Master of Journalism
113.	ML	Master of Laws
114.	MLISc.	Master of Library and Information Science
115.	MME	Master of Mechanical Engineering
116.	MO	Master of Obstetrics or Master of Obstetrics and Gynecology
117.	MOL	Master of Oriental Learning
118.	MPEd.	Master of Physical Education
119.	MPA	Master of Performing Arts
120.	MPS	Master of Population Studies
121.	MPT	Master of Physiotherapy
122.	MS	Master of Surgery

15

123.	MAMS	Master of Ayurved in Medicine and Surgery
124.	MSW	Master of Social Work
125.	MUMS	Master of Unani Medicine & Surgery
126.	Parangat	Parangat
127.	D. Phil.	Doctor of Philosophy
128.	Samaj Karya Parangat	Samaj Karya Parangat
129.	Samaj Vidya Parangat	Samaj Vidya Parangat
130.	Samaj Vidya Visharad	Samaj Vidya Visharad
131.	Shastri	Shastri
132.	Shiksha Acharya	Shiksha Acharya
133.	Shikshan Parangat	Shikshan Parangat
134.	Shiksha Shastri	Shiksha shastri
135.	Shiksha Visharad	Shiksha Visharad
136.	Vachaspati	Vachaspati
137.	Vidya Nishnanat	Vidya Nishnanat
138.	Vidya Praveena	Vidya Praveena
139.	Vidya Vachaspati	Vidya Vachaspati
140.	Vidya Varidhi	Vidya Varidhi
141.	Vidyalankar	Vidyalankar
142.	Visharad	Visharad

(Prof. Ved Prakash)
Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004

16

रजिस्ट्री सं. डीएल/(एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 27—दिसम्बर 3, 2004 (अग्रहायण 6, 1926)
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 27—DECEMBER 3, 2004 (AGRAHAYANA 6, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई-400008, दिनांक 5 नवम्बर 2004

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल, 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल, 1954 की अधिसूचना सं. एफ. (8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली 1946 के नियम 18 के अनुसरण में सितम्बर 2004 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची जो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी है और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका उक्त प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग 'क' में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग 'ख' में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

भारतीय स्टेट बैंक

सहयोगी एवं अनुषंगी समूह

मुंबई, दिनांक 28 अक्तूबर 2004

एसबीडी क्र. 6/2004--एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंकों) अधिनियम, 1959 की धारा 25 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (घ) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक श्री हरीश चंडोक के स्थान पर श्री सुधीर मेहता, 405 एडी, विजयनगर, स्कीम नं. 74, इन्दौर-452010 (म. प्र.) को स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के निदेशक पद पर दिनांक 1 नवम्बर, 2004 से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए नामित करता है।

ए. के. पुरवार

अध्यक्ष

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई दिल्ली-110002, दिनांक अक्तूबर 2004

मिसिल सं. 1-10/2004 (सीपीपी-II)--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्र सरकार के अनुमोदन के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 (1956 का 3) धारा 22 की उपधारा 3 एवं दिसम्बर, 1985 तक संशोधित और राजपत्र की अधिसूचना सं. 1-52/97 (सीपीपी-II) दिनांक 31-01-2004 के सिलसिले में नीचे दी गई अतिरिक्त डिग्रियों को उक्त धारा में उल्लिखित किया है :--

1. एम. एस.सी. बी.एड. --5 साल का एकीकृत पाठ्यक्रम
2. बी.ए. एल.एल.बी. --5 साल का एकीकृत पाठ्यक्रम

प्रो. वेद प्रकाश

सचिव

STATE BANK OF INDIA
ASSOCIATES & SUBSIDIARIES GROUP

Mumbai, the 28th October 2004

SBD. No. 6/2004—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (d) of Sub-section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 State Bank of India has, in consultation with Reserve Bank of India nominated Shri Sudhir Mehta, 405 AD, Vijay Nagar, Scheme No. 74, Indore-452010 (M.P.), as a Director on the Board of Directors of State Bank of Indore with effect from 1st November 2004 for a period of three years in place of Shri Harish Chandhok.

A. K. PURWAR
Chairman

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

New Delhi-110002, October 2004

No. F.1-10/2004 (CPP-II)—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 22 of the UGC Act, 1956 (3 of 1956) as modified upto Dec. 1985 and in continuation of Gazette Notification No. F. 1-52/97-(CPP-II) dated 31.01.2004, the University Grants Commission with the approval of the Central Government hereby specifies the following additional degrees for the purposes of the said Section :—

1. M.Sc. B.Ed. —5 year integrated course
2. B.A. LL.B. —5 year integrated course

Prof. VED PRAKASH
Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004।
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004.